उत्तर प्रदेश सरकार
भाषा अनुभाग–1
संख्या–4363 / इक्कीस–76–3 (18)–69
लखनऊ, दिनांक 24 जनवरी, 1977

## कार्यालय ज्ञाप

भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उच्च न्यायालय की कतिपय कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति समय–समय पर प्रदान करते रहे हैं। उसी क्रम में राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अब यह आदेश देते हैं कि दिनांक 26 जनवरी, 1977 से उच्च न्यायालय की डिक्रियों, आदेशों तथा निर्णयों के अतिरिक्त (जिनके लिये राष्ट्रपति की सहमति राजभाषा अधिनियम–1963 की धारा–7 के अन्तर्गत पहले ही दी जा चुकी है।) अन्य सभी कार्यवाहियों जैसे याचिकाओं, अपीलों मेमोरेण्डमों, वकालतनामों आदि में हिन्दी का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है:–

(1) यदि कोई न्यायपीठ चाहे तो हिन्दी के शपथ–पत्रों, बयानों और दस्तावेजों को अंग्रेज़ी में अनूदित करवाने के आदेश विशेष रूप से दिये जाने चाहिए, और

(2) यदि किसी निर्णय में हिन्दी के अभिवचनों, बयानों और दस्तावेजों आदि में से काई उद्धरण शामिल किया जाये, तो उसका अंग्रेज़ी अनुवाद उसके साथ रखना चाहिये।

2– उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग की अनुमति वैकल्पिक आधार पर दी जा रही है। अतएव यदि पार्टियाँ अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहें तो वह इस सम्बन्ध में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत कर सकती हैं।

आज्ञा से,

कैलाशनाथ गोयल,
न्याय सचिव।

संख्या–4363(1) / इक्कीस–76–3 (18)–69 तद्दिनांक

प्रतिलिपि राजभाषा विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या– 1 / 1601 / 2 / 1 / 76–रा0भा0 (क–1), दिनांक 26 नवम्बर, 1976 की प्रतिलिपि सहित निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

आज्ञा से,

कैलाशनाथ गोयल
न्याय सचिव।

संख्या–4363(2) / इक्कीस–76–3 (18)–69 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषितः–

(1)– महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2)– समस्त सरकारी अधिवक्ता तथा स्थायी अधिवक्ता, उ0प्र0।
(3)– हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद।
(4)– अवध बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(5)– बार लाइब्रेरी, हाईकोर्ट, इलाहाबाद / लखनऊ।
(6)– समस्त जिला बार एसोसिएशन, उ0प्र0।
(7)– समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उ0प्र0।
(8)– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(9)– सचिवालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

आज्ञा से,

देवीदत्त जोशी,
उप सचिव।